सजा अवधि पूरी करने वाले कैदी को रिहा करें

केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

आदेश को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजें

नई दिल्ली, 12 अगस्त. उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि कोई दोषी व्यक्ति सजा की निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद भी जेल में बंद है और किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए.

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को रिहा करने का आदेश देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया. न्यायालय ने कहा कि यादव ने इस साल मार्च में बिना किसी छूट के 20 साल की सजा पूरी कर ली है. पीठ ने इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को निर्देश दिया कि वे यह पता करें कि कोई दोषी व्यक्ति सजा की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक जेल में बंद तो नहीं है.

यदि कोई दोषी व्यक्ति किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है और निर्धारित अवधि से अधिक समय तक जेल में बंद है तो जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे शीघ्र रिहा किया जाए. पीठ ने कहा कि न्यायालय के इस आदेश को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को भेजा जाए ताकि इससे राज्यों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों अवगत कराया जा सके.

65 लाख नामों की गैरमौजूदगी पर सवाल

बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजरें टिकी हैं। मंगलवार को हुई अहम सुनवाई में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या की पीठ ने चुनाव आयोग से स्पष्ट किया कि प्रक्रिया में पारदर्शिता और नागरिकों के मताधिकार की रक्षा सर्वोपरि है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि इस महीने प्रकाशित हुई पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चौंकाने वाली गड़बड़ियां हैं। उन्होंने दावा किया कि कम से कम 12 जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि लगभग 65 लाख नाम सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ऐसे बड़े पैमाने पर नाम हटाना जनतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने जब यह पूछा कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी पूरी सूची क्यों नहीं दी गई, तो सिब्बल ने कहा कि यह गड़बड़ी व्यापक स्तर पर हर बूथ पर हो रही है, और सभी पीड़ितों की जानकारी जुटाना चुनौतीपूर्ण है। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने अदालत को आश्वस्त किया कि ड्राफ्ट सूची के बाद फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें सभी गलतियों को सुधारा जाएगा। उन्होंने यह भी माना कि इतने बड़े पैमाने पर की गई प्रक्रिया में कुछ मानव त्रुटियां संभव हैं.

पनामा नहर के बारे में अमेरिका के आरोप बेबुनियाद- चीन

संयुक्त राष्ट्र, 12 अगस्त. संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू कांग ने सोमवार को समुद्री सुरक्षा को लेकर चीन पर लगाए गए अमेरिका के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें पनामा नहर पर चीन के कथित 'प्रभाव' की बात कही गयी है. फू ने कहा कि हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने चीन पर कई बेबुनियाद आरोप लगाए हैं. हम इसका कड़ा विरोध करते हैं. उन्होंने सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर एक उच्चस्तरीय खुली बहस में भाग लेते हुए कहा कि चीन ने हमेशा नहर पर पनामा की संप्रभुता का सम्मान किया है और एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में नहर की स्थायी तटस्थता को मान्यता देता है.

पेंसिल्वानिया इस्पात संयंत्र में विस्फोट में दो मरे, दस घायल

पेंसिल्वानिया, 12 अगस्त. अमेरिका के पेंसिल्वानिया के क्लेयरटन स्थित 'यूएस इस्पात' संयंत्र में आज हुये एक विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गयी और दस अन्य घायल हो गए. स्थानीय अधिकारियों ने विस्फोट में दो लोगों के मारे जाने और कम से कम दस के घायल होने की पुष्टि की है. अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट के बाद संयंत्र का एक हिस्सा नष्ट हो गया है. यह दुर्घटना पिट्सबर्ग के ठीक बाहर स्थित 'यूएस स्टील क्लेयरटन' संयंत्र में हुई जहाँ 'वाणिज्यिक कोक' का उत्पादन होता है जो स्टील उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला ईंधन है. पहले अधिकारियों ने दुर्घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने की सूचना दी थी. इस बीच अलेघनी काउंटी के अधिकारियों ने आज दो लोगों के मारे जाने की पुष्टि की. पहले लापता बताए गए एक व्यक्ति का शव मिलने से मृतकों की संख्या दो हो गयी है.

पहला विस्फोट काफी शक्तिशाली था

पुलिस ने कहा कि पहला विस्फोट काफी शक्तिशाली रहा। इस विस्फोट के बाद एक और धमका हुआ, मगर उससे ज्यादा क्षति नहीं हुई। मृतकों में एक की पहचान 39 वर्षीय टिमोथी क्विन के रूप में हुई है। दूसरे की पहचान सोमवार रात तक नहीं हो पाई। अधिकारियों ने बताया कि 10 लोगों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया। इनमें पांच लोगों की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई गई है. संयंत्र ने सोमवार दोपहर बयान जारी किया-सोमवार को पूर्वी समयानुसार सुबह लगभग 11 बजे, यूएस स्टील के क्लेयरटन प्लांट में विशेष रूप से कोक ओवन बैटरी 13 और 14 में एक दुर्घटना घटी। आपातकालीन टीमों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। हम घटना के कारणों की जांच के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

प्रियंका गांधी के बयान पर भड़का इजराइल

नरसंहार और पत्रकारों की हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए थे

नई दिल्ली, 12 अगस्त. गाजा पट्टी में जारी संघर्ष को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और भारत में इस्राइल के राजदूत रूवेन अजार के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है.

प्रियंका गांधी ने जहां इस्राइल पर नरसंहार और पत्रकारों की हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए, वहीं इस्राइली राजदूत ने उन्हें शर्मनाक ढकोसलेबाज करार दिया है. इस बयानबाजी ने भारत में इस्राइल-फलस्तीन मुद्दे को एक बार फिर गरमा दिया है.

गाजा में जारी हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और भारत में इस्राइली राजदूत रूवेन अजार के बीच तीखा टकराव देखने को मिला है. प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस्राइल पर नरसंहार, बच्चों की हत्या और पत्रकारों की हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि इस्राइल ने 60,000 से अधिक लोगों को मार डाला है, जिनमें 18,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि हजारों लोगों को भूख से मारा गया है.

प्रियंका गांधी ने विशेष रूप से अल-जज़ीरा के पांच पत्रकारों की मौत को एक जघन्य अपराध बताया और इस्राइली कार्रवाई की कड़ी निंदा की. उन्होंने इसे सच्ची पत्रकारिता की हत्या करार देते हुए सवाल उठाया कि दुनिया कब तक ऐसे अत्याचारों पर चुप रहेगी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इस्राइली राजदूत रूवेन अजार ने प्रियंका गांधी को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने कहा आपकी ढकोसलेबाजी शर्मनाक है.

पांच महीने से वेतन बंद, आर्थिक संकट में फंसीं शिक्षिकाएं

बेमेतरा, 12 अगस्त. छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में स्थित नवागढ़ देवकर के सेजल आत्मानंद प्री-प्राइमरी स्कूल की शिक्षिकाओं का वेतन संकट गहराता जा रहा है.

लगातार पांच महीने से वेतन न मिलने से परेशान शिक्षिकाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं और समस्याएं बताकर राहत की गुहार लगाई. उन्होंने बताया कि लंबे समय से वेतन बंद रहने के कारण घर चलाना मुश्किल हो गया है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. शिक्षिकाओं का कहना है कि जब भी वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क करती हैं उन्हें डीएमएफ फंड में राशि की कमी का हवाला देकर टाल दिया जाता है.

मुझे भी भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला था- बघेल

▶ खुद की तुलना असम सीएम से करने से इनकार किया

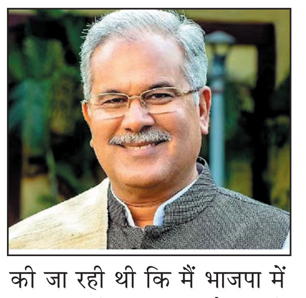

बिलासपुर, 12 अगस्त. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए खुद की तुलना असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से करने से इनकार किया. बघेल ने दावा किया, उन्हें भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से ठुकरा दिया.

बघेल के अनुसार भाजपा भयादोहन की राजनीति कर रही है और जो नेता इस दबाव में पार्टी में शामिल हो गए, उनके खिलाफ चल रही जांच और मामले बंद कर दिए. उन्होंने कहा, मुझे भी उम्मीद की जा रही थी कि मैं भाजपा में चला जाऊं, शरणागत हो जाऊं, लेकिन यह मुमकिन नहीं. जो डरने वाले थे, वे शरणागत हो गए. उन्होंने इसे लोकतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाक बताया. बघेल का यह बयान उस समय आया है जब हाल ही में कई विपक्षी नेता भाजपा में शामिल हुए हैं और उनके खिलाफ की जा रही कानूनी कार्रवाई ठप पड़ गई है.

धराली में मजदूरी को गए सहारनपुर के युवक अब भी लापता

सहारनपुर, 12 अगस्त. उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में सहारनपुर के तीन मजदूरों के भी लापता होने से उनके परिजन खासे चिंतित हैं. परिजनों ने धराली जाकर अपने लालों की कई दिन तक गहनता से तलाश की लेकिन उन्हें उनका कोई सुराग नहीं लगा. वे अब इस उम्मीद में है कि जल्द ही उनके खोये बेटों की वापसी हो जाएगी. जानकारी के मुताबिक सहारनपुर के गांव के 22 वर्षीय युवक मुकेश कुमार और 19 वर्षीय उनका चचेरा भाई दीपांशु के अलावा 18 वर्षीय उनका साथी आफताब धराली में वेल्डिंग का काम करते थे. बादल फटने से वहां जल प्रलय आ गई जिसने अपने आगोश में सब कुछ लील लिया. मुकेश के भाई कपिल ने आज बताया कि उनके पिता रामसिंह ने घटना की सुबह मुकेश से फोन पर बातचीत की थी.

नाम परिवर्तन सूचना

मै **मुहम्मद सुरूर शेख** निवासी 574, पीएजी कॉलेज के पीछे सिद्दीकी मस्जिद के पास मदीना नगर सेंधवा जिला-बड़वानी, पिन-451666 (म.प्र.)। मेरा नाम मेरी सभी मार्कशीट में भूलवश **सुरुश शेख** हो गया था, जबकि मेरा मूल नाम **मुहम्मद सुरूर शेख पिता:- अब्दुल मन्नान शेख** है। जिसे मैंने एफ्डेविट एवं नोटरी करवाकर सही करवा लिया है। कृपया मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना जाए।

NAME CHANGE

I **RAKESH S/O KAMAL KISHOR** HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME AS **RAKESH SEN S/O KAMAL KISHOR**. SO FROM NOW AND IN FUTURE I WILL BE KNOWN BY MY NEW NAME **RAKESH SEN S/O KAMAL KISHOR** FOR ALL PURPOSES.
ADDRESS – 7, PASHUPATI MARG, ALIRAJPUR ,DIST. ALIRAJPUR (MP) – 457887

कार्यालय प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू शासकीय स्नातक महाविद्यालय, बड़वाह (मप्र)
College Code: 2405
Phone No: 07280-222861 Email Id: hegcbadkhr@mp.gov.in
क्र 540 / 2025 बड़वाह, दिनांक 07.08.2025

// विज्ञप्ति //

महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति द्वारा स्ववित्तीय आधार पर नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सत्र 2025-26 के लिये नितांत अस्थाई आधार पर अध्यापन कार्य हेतु विजिटिंग फैकल्टी की आवश्यकता है। इच्छुक एवं योग्य आवेदकों से आवेदन पत्र दिनांक 20.08.2025 सायं 05 बजे तक जवाहरलाल नेहरू शासकीय स्नातक महाविद्यालय बडवाह को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रण म.प्र. शासकीय सेवा का भाग नही है तथा वे लोक सेवक नही होकर पूर्णत: (अंशकालिन) अस्थायी तथा सीमित समय के लिये होगें।

विज्ञप्ति की सम्पूर्ण जानकारी एवं प्रारूप महाविद्यालय की वेबसाईट http://highereducation.mp.gov.in/?orgid=256 पर

प्रभारी
शास. महाविद्यालय बड़वाह

प्राचार्य
शास. स्नातक महाविद्यालय बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.)

जी -17132/25

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
TATA
पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल मुंबई - 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552. Contact No. (022) 61827414, (022) 61827375
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के उपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001.

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के परिशिष्ठ IV सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(यों) से नीचे उल्लेखित सूचना प्राप्ति दिनांक से **60 दिन** के अंदर ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी। चूंकि ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रुटि की है अत: ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है।
ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा।
ऋणकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों /कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	मांग सूचना अनुसार राशि	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक	कब्जे का प्रकार
1	9971304	श्रीमती लक्ष्मी राठौर, स्वर्गीय श्री दिलीप राठौर (ऋणी) की पत्नी एवं कानूनी उत्तराधिकारी, श्री सुरेश राठौर (सह-ऋणी)	₹ 3,55,887/-	14-05-2025 / 11-08-2025	सांकेतिक कब्जा

सुरक्षित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण: सम्पत्ति 1:- उक्त अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, प्लॉट नंबर 68 का पूर्वी भाग, अनुकूल नगर कॉलोनी, वार्ड नंबर 7, देवास, क्षेत्रफल 67.50 वर्ग मीटर (726.30 वर्ग फीट) **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: प्लॉट नंबर 67, पश्चिम: प्लॉट का शेष भाग, उत्तर: प्लॉट नंबर 81, दक्षिण: 18 मीटर रोड
सम्पत्ति 2:- प्लॉट नंबर 68 का पश्चिमी भाग, अनुकूल नगर कॉलोनी, वार्ड नंबर 07, देवास, क्षेत्रफल 67.50 वर्ग मीटर (726.30 वर्ग फीट) **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: प्लॉट का शेष भाग, पश्चिम: प्लॉट नंबर 69, उत्तर: प्लॉट नंबर 81, दक्षिण: 18 मीटर रोड

दिनांक : 11-08-2025 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : इन्दौर (म.प्र.) वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय उज्जैन नगर पालिक निगम, उज्जैन
छत्रपति शिवाजी भवन, आगर रोड, उज्जैन

विज्ञप्ति क्र. /1552 **(Online) निविदा आमंत्रण सूचना** उज्जैन, दिनांक: 11.08.2025

निम्नांकित कार्य के लिए प्रपत्र अ (फार्म ए) में प्रतिशत कम या अधिक के आधार पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग मप्र शासन भोपाल के कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों से उक्त विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर ऑनलाईन **(Online)** निविदा आमंत्रित की जाती है, तथा ठेकेदार की (श्रेणी-सी) एम.पी. गवर्नमेंट व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल के **UADD ISSR SOR 02.08.2021** के आधार पर सीरियल क्र. 1 से 3 तक का टेंडर फार्म का मूल्य **2000/-** रहेगा।
सिरियल क्र. 1 आनलाईन क्रय करने की व ऑनलाईन ईएमडी राशि एवं समस्त दस्तावेज **Submission** करने की अंतिम दिनांक 04.09.2025 समय 17:30 रहेगी। सिरियल क्र. 2 से 3 तक ऑनलाईन क्रय करने की व ऑनलाईन ईएमडी राशि एवं समस्त दस्तावेज **Submission** करने की अंतिम दिनांक 09.09.2025 समय 17:30 रहेगी।
विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसकी सूचना ऑनलाईन दी जाएगी। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जाएगी।

क्र.	निविदा विज्ञप्ति क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अर्नेस्टमनी रुपए	कार्य पूर्ण समयावधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	2025_UAD_442007_1	वार्ड क्र. 12 में वहीद कबाड़ी के घर से शहीदा आपा के घर तक व अन्य 02 गलियों में सीसी रोड निर्माण व डॉ. शहीद की गली में नाला निर्माण कार्य	1931952/-	38639/-	90 दिन
2.	2025_UAD_442242_1	वार्ड क्र. 27 मजिद भाई घर से शहीद के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य मंदिर तक सी.सी. रोड एवं आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	212082/-	4241/-	60 दिन
3.	2025_UAD_442356_1	वार्ड क्र. 26 अंतर्गत विभिन्न 4 प्रस्तावित स्थानों पर सीसी रोड निर्माण व 1 स्थान पर क्रॉसड्रेन निर्माण कार्य।	2048165/-	40963/-	90 दिन

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम, उज्जैन

स्वतंत्र माईक्रो हाउसिंग फायनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
SVATANTRA Micro Housing Finance Corporation Ltd.
कार्यालय नं. 1,2,3,4 तल मंजिल, पुष्पक सीएचएस, गोमंतक हाल के सामने, मालविया रोड, विले पार्ले, (ईस्ट) मुम्बई - 400 057, **फोन** : 18001234427/022 26101076-79, **ईमेल** : collections@mhfcindia.com

चल घरेलू वस्तुओं की सुपूर्दगी लेने हेतु प्रकाशन

लोन नं.	ऋणीयों के नाम		मांग सूचना की दिनांक	आधिपत्य की दिनांक
APP-029-809	सोहन नेमीचंद शर्मा	राजू नेमीचंद शर्मा	05-08-2021	20-01-2022

संपत्ति का पता: फ्लैट नं. 409, बिल्डिंग नामः समृद्धि-ब्लॉक - ए, प्रोजेक्ट का नामः श्री राम कमल रेसीडेन्सी- फेस 2, गोमटगिरी, इन्दौर

यह सार्वजनिक नोटिस इस तथ्य के मद्देनजर जारी किया गया है कि उधारकर्ताओं को नोटिस भेजने के बावजूद, स्वतंत्र माइक्रो हाउसिंग फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में उधारकर्ताओं के द्वारा अपने अपने ऋण का भुगतान नहीं किया है। जबकि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के खंड 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर बैंक के अधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त तिथि को उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया है। उसके बाद निर्धारित अवधि के भीतर उक्त डिमांड नोटिस का पालन करने में असफल रहने पर, बैंक के अधिकृत अधिकारी ने उक्त डिमांड नोटिस में वर्णित सुरक्षित परिसंपत्तियों का उपरोक्त दिनांक को **भौतिक आधिपत्य** ले लिया है एवं उसी आधार पर बेचने के लिए पंजीकृत किया। अब हम भविष्यगत क्रेता को खाली संपत्ति का कब्जा सौंप रहे हैं।
कब्जा लेने के समय, प्राधिकृत अधिकारी ने व्यक्तिगत सामान, घरेलू सामान आदि की एक सूची तैयार की है, जिसे कोई भी कार्य दिवस पर प्राधिकृत अधिकारी के पास से एकत्र किया जा सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों में यह सूचना दी जा रही है कि, उक्त उधारकर्ताओं को प्रकाशन की तारीख से **15 (पंद्रह)** दिनों के भीतर हमारे पास रखे सामानों को एकत्र करने के लिए असफल होने पर, प्राधिकृत अधिकारी के पास हटाने और निपटान करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसे जिस तरह से भी किया जाएगा वह पूरी तरह से लागत और परिणाम के रुप में उधारकर्ताओं का जोखिम होगा, इस घटना में, भविष्य में इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

दिनांक : 13.08.2025 (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान : इन्दौर स्वतंत्र माइक्रो हाउसिंग फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड
TATA
पंजी. कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई - 400013. संपर्क (022) 66069383
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001

मांग सूचना
प्रतिभूति हित (प्रत्यावर्तन) नियम, 2002(''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अधीन

जैसा कि **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड** (टीसीएचएफएल) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए विवरण अनुसार इसमें सूचीबद्ध कर्जदारों/ सह कर्जदारों/गारंटरों (सभी को अकेले या एक साथ ''बाध्यताधारी'' कहा गया है) /कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को संबंधित नोटिसों की तिथियों से 60 दिन के अंदर मांग सूचना मे निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने की अपील करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन विस्तृत मांग सूचना दिनांक जारी किए गए थे. कथित सूचना की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा तामील की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं और यदि कथित बाध्यताधारी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि चाहें तो किसी भी कार्यालयीन दिवस को सामान्य कार्यावधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते है।
उपर्युक्त संबंध में एतद द्वारा कथित बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार पुन: सुचित किया जाता है कि कथित बाध्यताधारियों द्वारा निष्पादित ऋण के करार एवं अन्य दस्तावेजों /विलेखों के साथ पठित नीचे कॉलम (डी) में संबंधित तिथि से भुगतान और/या वसुली की तिथि तक आगामी ब्याज सहित इसमें उनके संबंधित नामों के समक्ष निर्दिष्ट राशि संबंधित सूचना की तिथियों से 60 दिन के अंदर टीसीएचएफएल को भुगतान करें. कथित बाध्यताधारियों द्वारा निम्नलिखित सुरक्षित आस्तियां कर्ज के देय भुगतान की सुरक्षा के रुप मे टीसीएचएफएल के लिए गिरवी रखी गई है।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया देय (रु.) निम्नलिखित दिनांक तक	डिमांड नोटिस की तिथि एवं एनपीए की तिथि
1	TCHHL028400 0100288908 & TCHIN0284000 100291419	श्रीमती मंजुलता जाटव (ऋणी) श्रीमती सावित्री बाई जाटव (सह ऋणी)	Rs. 15,63,782/-	05-08-2025 & 01-08-2025

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: अचल संपत्ति के सम्पूर्ण भाग एवं अंश, 'हाईवे स्काई सिटी' का प्लॉट नं. 117, सर्वे नं. 249/3, 251/1, 251/3, 251/4, 251/5, 251/6, 251/7, 251/2/1, 251/2/2, 251/2/3 पर स्थित, प.ह.नं. पुराना 26/9 (नया 69), ग्राम गारी पिपलिया, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, कुल क्षेत्रफल: 90.61 वर्ग मीटर (957 वर्ग फुट), **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व : कॉलोनी रोड, पश्चिम: कॉलोनी बाउंड्री वाल, उत्तर: प्लॉट नं. 116, दक्षिण: प्लॉट नं. 118

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया देय (रु.) निम्नलिखित दिनांक तक	डिमांड नोटिस की तिथि एवं एनपीए की तिथि
2	10431796	श्री रेमंड माइकल (ऋणी) श्रीमती निर्मला मोहता (सह ऋणी)	Rs. 10,03,160/-	07-08-2025 & 03-08-2025

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: अचल संपत्ति के संपूर्ण भाग एवं अंश, प्लॉट संख्या डी-22 जो शांति पैराडाइज ग्राम हरसोला तहसील महू जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है, क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व : कॉलोनी रोड, पश्चिम: प्लॉट नं. डी/43, उत्तर: प्लॉट नं. डी/21, दक्षिण: प्लॉट नं. डी/23

*संबंधित मांग सूचना दिनांक में विशेष रुप से निदिष्ट दर पर आगामी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अदायगी और/या वसूली की तिथि तक उठाया गया आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क इत्यादि. यदि जैसा की ऊपर कहा गया है कथित बाध्यताधारी टीसीएचएफएल को भुगतान नहीं करेंगे तो टीसीएचएफएल खर्च एवं परिणाम के रुप में पूरी तरह से कथित बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अधीन उपर्युक्त सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियों के लिए कार्यवाही करेगा। कथित बाध्यताधारी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्तसुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियो को बिक्री, पट्टा या अन्य किसी भी रुप में हस्तांतरित करने के लिए कथित अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित हैं। अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन या उल्लंघन करने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत यथा विहित सजा और/या दंड का पात्र होगा।

हस्ता./-
दिनांक : 13.08.2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : इन्दौर टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
(जनकार्य विभाग)
ई-मेल: jankarya.vibhag2023@gmail.com, फोन : 7440440233

निविदा विज्ञप्ति क्र.: 63/सिविल/25-26/ग्रुप नं-01 से ग्रुप नं-22 तक **निविदा आमंत्रण** **दिनांक:** 07.08.2025

केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार से (MPUADD Road & Bridge SOR/NON SOR, DATE 02-08-2021 पर आधारित) ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

ग्रुप क्र.	टेंडर क्र.	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा क्रय करने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	2025_UAD_442712_1	झोन क्र. 16 वार्ड क्र. 01 के अन्तर्गत केशव नगर में म.नं. 27/1 से आर्शीवाद हॉस्पिटल के पहले तक रोड का सीमेन्ट कांक्रीट करना।	120 दिवस ₹17,88,704/-	₹2,000/- ₹13,500/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
02	2025_UAD_442714_1	झोन क्र. 20 वार्ड क्र. 06 के अन्तर्गत धर्मराज कॉलोनी में शनि मंदिर के पास आवश्यक सिविल कार्य कर टीन शेड का निर्माण करना।	120 दिवस ₹10,33,716/-	₹2,000/- ₹7,800/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
03	2025_UAD_442715_1	झोन क्र. 15 वार्ड क्र. 83 के अन्तर्गत स्कीम नं. 71 परस्पर गार्डन के आसपास क्षतिग्रस्त रोड के स्थान पर नवीन आर सी सी रोड का निर्माण करना।	180 दिवस ₹28,72,006/-	₹5,000/- ₹21,600/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
04	2025_UAD_442717_1	झोन क्र. 20 वार्ड क्र. 06 के अन्तर्गत प्राचीन श्री राम मंदिर पंचकुईया स्थित सार्वजनिक शंभू सत्संग भवन में आवश्यक रिपेयरिंग कार्य करना।	180 दिवस ₹26,71,862/-	₹5,000/- ₹20,100/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
05	2025_UAD_442718_1	झोन क्र. 09 वार्ड क्र. 46 के अन्तर्गत सोमनाथ की जूनी चॉल स्थित विश्वधाम मंदिर से देव नगर आंगनवाड़ी तक एवं आस पास की गलियों में सिमेन्टीकरण करना।	180 दिवस ₹32,82,316/-	₹5,000/- ₹24,700/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
06	2025_UAD_442719_1	झोन क्र. 05 वार्ड क्र. 23 के अन्तर्गत कनकेश्वरी संस्कार केन्द्र के पीछे अर्जुन सिंह गौहर नगर में कम्युनिटी हॉल का निर्माण करना।	180 दिवस ₹40,54,421/-	₹5,000/- ₹30,500/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
07	2025_UAD_442860_1	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 12 के अन्तर्गत राधाकृष्ण नगर व कर्मा नगर की बेक लाईनों में सिमेन्टीकरण करना।	120 दिवस ₹18,11,705/-	₹2,000/- ₹13,500/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
08	2025_UAD_442861_1	झोन क्र. 16 वार्ड क्र. 14 के अन्तर्गत पल्हर नगर में म.नं. 218 प्रेमनारायण पटेल के घर से म.नं. 281 ललित साहू के घर तक रोड का सिमेन्टीकरण करना।	120 दिवस ₹14,93,718/-	₹2,000/- ₹11,300/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
09	2025_UAD_442862_1	झोन क्र. 15 वार्ड क्र. 83 के अन्तर्गत गुमास्ता नगर में रजत विहार अपार्टमेन्ट से 96 गुमास्ता नगर तक नवीन आर.सी.सी. रोड बनाना।	180 दिवस ₹44,87,472/-	₹5,000/- ₹33,700/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
10	2025_UAD_442863_1	झोन क्र. 22 वार्ड क्र. 35 के अन्तर्गत भानगढ़ कांकड़ में मकान नं. 35 लखन जायसवाल के घर से किन्डर जॉय पब्लिक स्कूल से मकान नं. 18 फारुख खान के घर से म.न. 123 बी तक रोड का सिमेन्टीकरण करना।	240 दिवस ₹65,87,186/-	₹10,000/- ₹49,500/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
11	2025_UAD_442865_1	झोन क्र. 16 वार्ड क्र. 01 के अन्तर्गत न्यू गांधी पैलेस में नामदेव मंदिर से व्यास नगर (डी.पी.) तक रोड का सिमेन्टीकरण करना।	180 दिवस ₹35,62,416/-	₹5,000/- ₹26,800/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
12	2025_UAD_442866_1	झोन क्र. 07 वार्ड क्र. 29 के अन्तर्गत प्लॉट नं. 401 डी से नाहर किराना सेक्टर डीएच तक पेव्हर ब्लॉक लगाना।	180 दिवस ₹23,21,741/-	₹5,000/- ₹17,500/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
13	2025_UAD_442867_1	झोन क्र. 04 वार्ड क्र. 12 के अन्तर्गत यादवनंद नगर में म.नं. 271 जितेन्द्र यादव के मकान के सामने व लगी गलियों का सिमेन्टीकरण करना।	120 दिवस ₹18,78,407/-	₹2,000/- ₹14,100/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
14	2025_UAD_442868_1	झोन क्र. 20 वार्ड क्र. 05 के अन्तर्गत चैतन्य स्कूल के सामने से टेकचंद धर्मशाला तक क्षतिग्रस्त सड़क का चौड़ीकरण कर सिमेन्टीकरण करना।	180 दिवस ₹34,49,400/-	₹5,000/- ₹25,900/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
15	2025_UAD_442869_1	झोन क्र. 07 वार्ड क्र. 29 के अन्तर्गत तोतला उद्यान के आस पास सड़कों का मुख्य मार्ग से लेवल मेन्टेन करते हुए सिमेन्टीकरण करना।	180 दिवस ₹49,47,780/-	₹5,000/- ₹37,200/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
16	2025_UAD_442870_1	झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 65 के अन्तर्गत खातीवाला टैंक की ध्वस्त बैक लाईनों में सिमेन्टीकरण करना।	180 दिवस ₹39,29,527/-	₹5,000/- ₹29,500/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
17	2025_UAD_442872_1	झोन क्र. 05 वार्ड क्र. 23 के अन्तर्गत आदर्श बिजासन नगर पहुंच मार्ग एवं गलियों की सड़क का सिमेन्टीकरण करना।	180 दिवस ₹36,69,044/-	₹5,000/- ₹27,600/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
18	2025_UAD_442873_1	झोन क्र. 09 वार्ड क्र. 45 के अन्तर्गत लाला का बगीचा स्थित आदर्श व्यायामशाला से अन्नपूर्णा मंदिर तक एवं आस पास की गलियों में सीमेन्टीकरण करना।	120 दिवस ₹12,96,900/-	₹2,000/- ₹9,800/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
19	2025_UAD_442874_1	झोन क्र. 22 वार्ड क्र. 35 के अन्तर्गत तलावली चांदा, कैलाश कुटी में गली नं. 01,02, 03 में एवं बजरंग नगर तोड़ा में मस्जिद के पीछे वाली बेकलाईनों से गाद निकालकर सिमेन्टीकरण करना।	180 दिवस ₹26,29,554/-	₹5,000/- ₹29,500/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
20	2025_UAD_442875_1	झोन क्र. 11 वार्ड क्र. 60 के अन्तर्गत रानीपुरा में मेडिकल के सामने से पार्किंग तक व आस पास की गलियों में सीमेन्ट कांक्रीट करना।	120 दिवस ₹14,85,150/-	₹2,000/- ₹11,200/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
21	2025_UAD_443167_1	झोन क्र. 20 वार्ड क्र. 05 के अन्तर्गत राज नगर सेक्टर सी में अक्षय कोचिंग क्लासेस के सामने एवं गलियों की क्षतिग्रस्त सड़क का सिमेन्टीकरण करना।	180 दिवस ₹27,84,280/-	₹5,000/- ₹20,900/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025
22	2025_UAD_443168_1	झोन क्र. 09 वार्ड क्र. 45 के अन्तर्गत म.नं. डी 18 से म.नं. डी 22 एच.आई.जी. कॉलोनी में एवं आस पास की गलियों में सीमेन्ट कांक्रीट करना।	120 दिवस ₹18,68,062/-	₹2,000/- ₹14,100/-	09-09-2025 6.00 PM 11-09-2025

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

अधीक्षण यंत्री
(जनकार्य विभाग)
नगर पालिक निगम, इन्दौर